मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 365
05.02.2024 को उत्तर के लिए

काली गर्दन वाले सारस

365. श्री रामदास तडस :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पाए जाने वाले पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति, काली गर्दन वाले सारस की संख्या का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में पक्षी की उक्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, काली गर्दन वाले सारसों की संख्या का आकलन करते आ रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लद्दाख क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, काली गर्दन वाले सारसों की संख्या लगभग 66 से 69 के बीच थी। अरुणाचल प्रदेश में, सर्दी के महीनों में काली गर्दन वाले सारस बहुत कम संख्या में आते हैं जिनकी संख्या लगभग 11 है।

(ग) पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) काली गर्दन वाले सारस (ग्रुस निग्रिकोलिस) को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) इन प्रजातियों को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के परिशिष्ट-I और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन में भी सूचीबद्ध किया गया है।

(iii) काली गर्दन वाले सारस के महत्वपूर्ण पर्यावासों को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, उदाहरण के लिए चांगथांग अभयारण्य, लद्दाख।

(iv) त्सो कर आद्रभूमि क्षेत्र, जो काली गर्दन वाले सारस के लिए एक महत्वपूर्ण चारागाह और प्रजनन स्थल है, को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) इस मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2017 में लागू की गई राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (वर्ष 2017-2031) में वन्यजीव संरक्षण के विभिन्न पहलुओं जैसेकि संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना, अंतर्देशीय एवं तटीय और समुद्री पारि-प्रणालियों का संरक्षण, भू-दृश्य स्तर पर संरक्षण करना आदि के संबंध में विशिष्ट अध्याय और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां करने हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(vi) केंद्रीय सरकार, देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(vii) इस मंत्रालय ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 में निहित उपबंधों के अनुसार सुरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना बनाने की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(viii) भारत सरकार ने मिशन लाइफ (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) कार्यक्रम शुरु किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और इसके संरक्षण के बारे में जन-जागरूकता पैदा करना है।

(ix) जनता को वन्यजीव और जैव-विविधता के प्रति और अधिक जागरूक बनाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस, आद्रभूमि दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण दिवस और वन्यजीव सप्ताह मनाए जाते हैं।

****